

आदेश की
क्रम सं०
और
तारीख



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

अधिहरण वाद सं०— 02/2023

राज्य (D.M.O)—बनाम—दिलिप मुर्मू एवं अन्य

आदेश पर
की गई
कार्रवाई के
बारे में
टिप्पणी
तिथि सहित

07/06/24

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक-8742/अप०शा० दिनांक-06.12.2023 के आलोक में पीरटांड थाना कांड सं०-21/23, दिनांक-20.06.2023, धारा-414/34 भा०द०वि०, 21/22 खान एवं खनिज(विकास का विनियमन) अधिनियम 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली-2004 में अनुसंधानकर्ता द्वारा जप्त 1. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH11AH-0487, 2. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH10CA-0621, 3. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH02AX-8417, 4. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH11AG-3683, 5. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH10AV-2106, 6. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH10BY-1644, 7. ट्रैक्टर इंजन सं०-PY3029D684068 एवं चेचिस नं० 1VY5039DKNA013329, 8. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH10AS-7231, 9. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH10CE-7249, 10. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH09AU-2981, 11. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH10BN-6627, 12. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH11AL-2807, 13. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH10AK-4831, 14. ट्रैक्टर पंजीयन सं०-JH10AR-4386 उक्त सभी ट्रैक्टरों एवं उस पर लदे बालू के विरुद्ध राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में अधिहरण वाद सं० 02/2023 राज्य-बनाम-दिलिप मुर्मू एवं अन्य (पीरटांड थाना कांड सं० 21/23 में जप्त वाहन) का संधारण कर सुनवाई प्रारम्भ की गई। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित अधिहरण वाद सं० 09/2022 में पारित आदेश के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Cr) No. 1212 of 2023 सीता राम महतो एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 की कंडिका-6 जो निम्नवत् है:-

"In view of law declared by the co-ordinate Bench of this Court, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 03.11.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Giridih in Confiscation Case No. 09 of 2022 is,

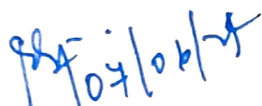
Phy.

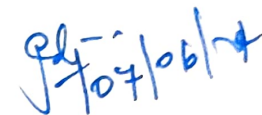
hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law."

उक्त न्यायादेश के आलोक में इस (अधिहरण वाद सं० 02/2023 राज्य(D.M.O)-बनाम-दिलिप मुर्मू एवं अन्य) वाद को Drop(समाप्त) किया जाता है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय।

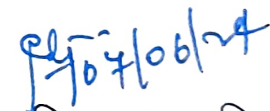
लेखापित एवं संशोधित,


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक...456.../न्या० दिनांक...07/06/2024

प्रतिलिपि:-पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक-8742/अप०शा० दिनांक 06.12.2023 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।